गीता ग्लोबल फ़ैमिली ट्रस्ट

सनातन धर्म की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए

विचार पत्र सहित
सनातन सेवा निधि अधिनियम (क़ानून), 2025 का
सार-संक्षेप

(मूल अंग्रेज़ी का अनुवाद)

(गीता ग्लोबल फैमिली द्वारा पारित

विचारित एवं प्रारूपित
द्वारा - भगवद्-धर्म पीठाधीश श्रीयुत ब्रह्मबोधि
अध्यक्ष, गीता ग्लोबल फ़ैमिली ट्रस्ट
गोपाला 1F-104, ओमैक्स इटर्निटी,
वृन्दावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत
संगठनात्मक व्हाट्सऐप: +91 88650 52915
वेबसाइट: www.gitaglobalfamily.org
ईमेल: brahmbodhi@gmail.com
मोबाइल: +91 8252667070

पूरा प्रस्तावित कानून डाउनलोड करने के लिए
नीचे QR कोड स्कैन करें

प्रधानमंत्री, भारत और नीति-अयोग को प्रस्तावित कानून का पूरा प्रारूप
प्रेषित—17 अक्टूबर, 2025 को

विचार-पत्र
सनातन धर्म के समक्ष चुनौतियाँ एवं उनके समाधान

आज सनातन धर्म एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती उन प्रतिस्पर्धी धर्मों से उत्पन्न होती है जो सक्रिय रूप से हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं तथा अपनी कहीं अधिक जन्म-दर के कारण भारत की जनसांख्यिकीय संरचना को तीव्र गति से बदल रहे हैं।

सनातन धर्म की शक्ति और विस्तार के क्षय के पीछे पाँच प्रमुख कारण हैं—

(i) प्रशिक्षित धार्मिक उपदेशकों की कमी

इन धर्मों के पास प्रशिक्षित धार्मिक उपदेशकों जैसे मौलवी और पादरी का एक विशाल, संगठित और संसाधन-संपन्न ढांचा है। इनके पास सुव्यवस्थित संस्थान हैं जो बड़े पैमाने पर धार्मिक नेतृत्व तैयार करते हैं।

उदाहरण के लिए, भारत में इस्लामी मदरसों की संख्या लगभग 24,000 से 38,000 के बीच आँकी जाती है, जहाँ से प्रतिवर्ष 35,000 से अधिक हाफ़िज़ और आलिम निकलते हैं। हाफ़िज़ वह होता है जिसने पूरा क़ुरआन कंठस्थ किया हो और आलिम वह होता है जो उसकी व्याख्या करने में सक्षम हो। केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। यदि अपंजीकृत और अंशकालिक मदरसों को भी सम्मिलित किया जाए, तो भारत में मदरसों की कुल संख्या लगभग 5,00,000 मानी जाती है, जिनमें लगभग 5 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह अनुमान डॉ. अरजुमंद आरा के निबंध “Madrasas and the Making of Muslim Identity” (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2006) में प्रस्तुत किया गया है।

प्रसिद्ध सच्चर समिति रिपोर्ट इस वास्तविकता को कम करके प्रस्तुत करती है, क्योंकि वह मदरसों में केवल 4 प्रतिशत मुस्लिम छात्रों की भागीदारी का उल्लेख करती है।

किंतु यह रिपोर्ट केवल 7 से 9 वर्ष के आयु वर्ग को सम्मिलित करती है तथा 5 से 7 और 9 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को बाहर रखती है। साथ ही, मस्जिदों द्वारा संचालित मदरसों को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि ऐसे मदरसों की संख्या अधिक मानी जाती है।

राज्य बोर्ड के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश में 21,302 छात्र आलिम (अरबी और फ़ारसी संयुक्त) परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 17,544 सफल रहे। पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष लगभग 12,500 छात्र आलिम परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।

इसके विपरीत, ऐसे हिंदू पुजारी विरले ही मिलते हैं जिन्होंने किसी संपूर्ण शास्त्र को कंठस्थ किया हो। अधिकांश पुजारियों ने प्राथमिक शास्त्र भी नहीं पढ़े होते। हिंदू धर्म में न तो कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली है और न ही इस विषय पर कोई आधिकारिक आँकड़ा उपलब्ध है। जो कुछ संस्थान उपलब्ध हैं, वे मुख्यतः ज्योतिष और कर्मकांड तक सीमित हैं ताकि पुजारी अपनी आजीविका चला सकें। दर्शन और सिद्धांत की शिक्षा प्रायः अनुपस्थित रहती है। इसके परिणामस्वरूप सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ, अर्थात् सैद्धांतिक उपदेशक, संख्या और गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से लगभग अनुपस्थित है।

धर्म में उपदेशकों और पुजारियों की भूमिका राष्ट्र की सेना में सैनिकों के समान होती है। यदि सेना छोटी हो या उसके पास शस्त्र न हों, तो पराजय निश्चित होती है। धर्म में शास्त्र ही शस्त्र होते हैं।

इसका परिणाम यह है कि आज भारत के 6,00,000 से अधिक गाँवों में फैले हिंदू अपने ही धर्म के प्रति ज्ञान और चेतना से वंचित हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 2,00,000 मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश में या तो पुजारी नहीं हैं या प्रशिक्षित पुजारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) प्रत्येक हिंदू घर में शास्त्रों की उपस्थिति का अभाव

प्रत्येक मुस्लिम परिवार के पास क़ुरआन होता है और प्रत्येक ईसाई परिवार के पास बाइबिल। इन धर्मों के अनुयायियों को बिना शास्त्र के देखना दुर्लभ है। दुर्भाग्यवश हिंदू समाज में स्थिति भिन्न है। लगभग 23 करोड़ हिंदू परिवारों में शास्त्रों की लगभग

पूर्ण अनुपस्थिति एक गंभीर कमजोरी है। शास्त्र-पाठ के बिना धार्मिक चेतना का विकास संभव नहीं है।

(iii) उपेक्षित मंदिर

हिंदू धर्म की तीसरी कमजोरी ग्रामीण मंदिरों तथा अनेक शहरी देवालयों की उपेक्षित स्थिति है। इन मंदिरों में प्रशिक्षित पुजारियों और सैद्धांतिक उपदेशकों का अभाव है, जिसके कारण ये आध्यात्मिक जीवन के जीवंत केंद्र नहीं रह गए हैं। अनेक स्थानों पर मंदिरों में पुजारी ही उपलब्ध नहीं हैं। उत्तर भारत के अनेक गाँवों में मंदिर आलस्य या नशे के केंद्र बन गए हैं। मंदिरों को दान में प्राप्त भूमि पर अतिक्रमण हो गया है। फलस्वरूप ये मंदिर पुजारीविहीन, उपदेशकविहीन और गतिविधिहीन अवस्था में पड़े हैं। यदि इन मंदिरों में विद्वान और सक्रिय पुजारी अथवा सैद्धांतिक उपदेशक, जिन्हें अध्यात्म-आचार्य कहा जा सकता है, नियुक्त किए जाएँ, तो ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के केंद्र बन सकते हैं।

यदि ऐसा संभव हो, तो सनातन धर्म शीघ्र ही सुदृढ़ होगा और प्रतिस्पर्धी धर्मों का सामना सकारात्मक और रचनात्मक साधनों से कर सकेगा।

(iv) एकता का अभाव

हिंदू धर्म की चौथी कमजोरी उसकी एकता का अभाव है। यह असंख्य संप्रदायों और उप-परंपराओं में विभाजित है। इस समस्या का आंशिक समाधान यह है कि प्रत्येक हिंदू परिवार के पास एक या दो सर्वमान्य शास्त्र हों। साझा शास्त्र साझा दृष्टि उत्पन्न करते हैं और साझा दृष्टि धार्मिक एकता की नींव रखती है। हिंदू धर्म में भगवद्गीता और रामायण ऐसे ही सर्वमान्य ग्रंथ हैं।

(v) संगठित दान व्यवस्था का अभाव

हिंदू धर्म में इस्लाम की ज़कात जैसी कोई अनिवार्य संस्थागत दान व्यवस्था नहीं है, जिसमें प्रत्येक अनुयायी को दान देना होता है और वह धन केवल उस समुदाय के कल्याण और विस्तार के लिए प्रयुक्त होता है।

यद्यपि हिंदू शास्त्र दान को निरंतर कर्तव्य मानते हैं, व्यवहार में हिंदू समाज के पास कोई ऐसी संरचित, पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था नहीं है जो केवल हिंदुओं के कल्याण हेतु दान एकत्र कर सके।

पाँचों कमजोरियों के समाधान—

यदि इन पाँच प्रमुख कमजोरियों को दूर कर दिया जाए, तो सनातन धर्म का पुनरुत्थान शीघ्र संभव है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो केवल सरकार से नहीं आ सकते, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तथापि समाधान संभव है।

विशेष उपाय
वैधानिक राष्ट्रीय सनातन सेवा निधि की स्थापना

केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके अंतर्गत हिंदू सेवा निधि (सनातन सेवा निधि) की स्थापना हो, जिसमें प्रत्येक हिंदू मासिक अथवा स्वैच्छिक रूप से योगदान कर सके और उसे पूर्ण विश्वास हो कि उसका योगदान प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।

निधि के वितरण का अधिकार सरकार के पास न होकर सनातन सेवा निधि शासी परिषद (संत परिषद) के पास होना चाहिए। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखा-परीक्षा कराई जाए। निधि का 90 प्रतिशत पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों पर व्यय किया जाए—जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं का पुनर्वास भी सम्मिलित हो—और 10 प्रतिशत आपातकालीन सहायता के लिए सुरक्षित रखा जाए।

(क) हर घर में शास्त्र

प्रत्येक हिंदू परिवार को निःशुल्क भगवद्गीता की एक प्रति तथा क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार रामकथा का ग्रंथ उपलब्ध कराया जाए—जैसे कृतिवासी, कंबन, तुलसीदास अथवा वाल्मीकि रामायण।

रामकथा का एक संक्षिप्त संस्करण भी तैयार किया जाए, जिसमें संविधानिक मूल्यों के प्रतिकूल किसी भी सामग्री को हटा दिया जाए।

(ख) धार्मिक शिक्षकों का बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कक्षा 6 से आरंभ होकर आचार्य स्तर तक चले। अनिवार्य पाठ्यक्रम में पूरी गीता का कंठस्थ अध्ययन, वेदों और उपनिषदों के महत्वपूर्ण अंश, सम्पूर्ण रामकथा, हिंदू दर्शन की प्रमुख धाराएँ (वैष्णव, शैव, शाक्त) तथा अन्य धर्मों का आधारभूत ज्ञान सम्मिलित हो।

इन पुरोहितों और सिद्धांत-प्रचारकों को प्रारंभिक रूप से सनातन सेवा निधि से निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए। वे ग्रामीण मंदिरों को पुनर्जीवित करेंगे और युवाओं को रोजगार अवसरों, उपयुक्त परीक्षाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगी तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन देकर आर्थिक उन्नयन में योगदान देंगे। सिद्धांत-प्रचारकों को उनके विस्तारित प्रशिक्षण काल में इन दक्षताओं का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) हिंदू शरणार्थियों को सहायता

निधि के अंतर्गत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों से विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वास और सहायता की व्यवस्था की जाए।

(घ) सनातन विद्यालयों की श्रृंखला

सनातन सेवा निधि स्थापित किंतु बाद में स्ववित्त-पोषित इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ धर्मिक शिक्षा का समन्वय किया जाएगा। धर्मिक शिक्षा केवल अभिभावकों की सहमति से प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यालय संविधान के अनुच्छेद 28(3) के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने की स्थिति में संविधान-सम्मत माने जाएँगे और अनुमन्य होंगे। ये हर शहर में सारे देश में स्थापित किए जायेंगे।

विविध प्रावधान

शासी परिषद में सभी प्रमुख परंपराओं—वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, आर्य समाज आदि—के अग्रणी संत सम्मिलित हों। परिषद में 11 सदस्य हों, जिनका कार्यकाल दो वर्ष का हो और व्यवस्था घूर्णन आधार पर चले।

आचार्यों के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—पर आधारित हो तथा इसमें शास्त्रीय अध्ययन, साधना, तुलनात्मक धर्म, भारतीय विधि और आजीविका-उन्मुख कौशल सम्मिलित हों।

निष्कर्ष

यहाँ प्रस्तावित सभी उपाय किसी अन्य धर्म या उसके अनुयायियों को कोई क्षति न पहुँचाएँ और न ही किसी समुदाय के प्रति घृणा उत्पन्न करें। उद्देश्य सनातन धर्म को सुदृढ़ करना है, ताकि वह चुनौतियों का विवेकपूर्ण और रचनात्मक उत्तर दे सके, साथ ही हिंदुओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे और दूसरों के लिए प्रेरणा बने।

यह दृष्टि केवल विश्वसनीय वैधानिक तंत्र और पारदर्शी धार्मिक निधि के माध्यम से ही साकार हो सकती है—ऐसी निधि जिसमें एक ठेला-रेहड़ी वाला भी UPI से सहज योगदान कर सके और संपन्न व्यक्ति उदारतापूर्वक दान दे सकें। खाता संख्या सरल और स्मरणीय हो—उदाहरणार्थ ग्यारह नौ (99999999999)।

इस निधि के माध्यम से गीता और रामायण जैसे शास्त्र प्रत्येक हिंदू घर तक निःशुल्क पहुँचेंगे, और दस लाख प्रशिक्षित पुरोहित एवं अध्यात्म-आचार्य तैयार किए जा सकेंगे, जो भारत के छह लाख गाँवों का आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी स्तरों पर कर्मकांडी पुरोहित और सिद्धांत-प्रचारक (अध्यात्म-आचार्य) का प्रशिक्षण कड़ाई से संविधानिक मूल्यों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों—विशेषकर अनुसूचित जातियों और महिलाओं से संबंधित कानूनों—के अनुरूप होगा। किसी भी स्तर पर भेदभाव को न तो सिद्धांत में और न ही व्यवहार में बढ़ावा दिया जाएगा, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित किसी भी शास्त्र-संस्करण में महिलाओं या अनुसूचित जातियों के प्रतिकूल सामग्री नहीं होगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष पाठ्यक्रम के अंतर्गत गहन प्रशिक्षण आवश्यक होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम प्रस्तावित विधान के अनुसूची 'H' में दिया गया है।

एक संभावित आपत्ति

चूँकि प्रस्तावित अधिनियम किसी अन्य आस्था को क्षति नहीं पहुँचाता, इसलिए संसद में इसके पारित होने का कोई ठोस विरोध नहीं होना चाहिए। यदि यह प्रश्न उठे कि ऐसा अधिनियम केवल सनातन धर्म के लिए क्यों, तो उपयुक्त उत्तर यह है कि अन्य आस्थाएँ भी अपने-अपने उद्देश्यों हेतु समान वित्तीय व्यवस्थाओं का मसौदा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX का
कार्यकारी सारांश

1. पृष्ठभूमि

भारत की प्राचीन सनातन सभ्यता—जो भगवद्गीता, वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहर ग्रंथों से पोषित है—हजारों वर्षों से समाज को नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती आ रही है।
वर्तमान में अन्य धार्मिक समुदायों के पास अपने-अपने वैधानिक ढाँचे उपलब्ध हैं, जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 तथा सिखों के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925, जबकि सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की कोई समेकित वैधानिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
इस दीर्घकालिक रिक्तता को दूर करने के उद्देश्य से सनातन सेवा निधि अधिनियम प्रस्तावित किया जा रहा है।

2. उद्देश्य

- **सनातन सेवा निधि की स्थापना** – धर्म, शिक्षा और संस्कृति के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक योगदान पर आधारित एक पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना।
- **शास्त्रों का प्रसार** – भारत के 20 करोड़ से अधिक सनातनी परिवारों को भगवद्गीता, रामायण परंपराओं तथा अन्य सांस्कृतिक धरोहर ग्रंथों का निःशुल्क वितरण।
- **पुजारियों एवं सैद्धांतिक उपदेशकों का प्रशिक्षण** – दस लाख प्रशिक्षित पुरोहितों और अध्यात्माचार्यों का एक राष्ट्रीय समूह तैयार करना, जो छह लाख से अधिक गाँवों में सनातनी समाज का मार्गदर्शन करे तथा ग्राम स्तर से वैश्विक स्तर तक आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व को सुदृढ़ करे। उनके लिए वेतन की भी व्यवस्था।
- **सनातनी विद्यालय नेटवर्क** – आधुनिक और धर्माधारित शिक्षा का समन्वय करते हुए सनातन-आधारित विद्यालयों की व्यवस्था।
- **पुनर्वास एवं सहायता** – परित्यक्त महिलाओं, वृद्धजनों, हिंदू शरणार्थियों तथा आपदा-प्रभावित समुदायों के लिए सहायता और पुनर्वास।

- **अंतरराष्ट्रीय विस्तार** – प्रवासी भारतीयों की पर्याप्त उपस्थिति वाले देशों में सनातन मूल्यों के प्रसार हेतु विदेशों में शाखाओं की स्थापना।

3. प्रमुख विशेषताएँ

स्वायत्त निधि –
सरकार निधि के उपयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

शासन संरचना –

- केंद्रीय शासी परिषद: 11 प्रतिष्ठित संत, विद्वान और विषय-विशेषज्ञ।
- राज्य परिषदें: राज्य स्तर पर 11 प्रतिष्ठित संत, विद्वान और विशेषज्ञ।
- सचिवालय: प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली इकाई।
- कार्य बल: विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समयबद्ध निकाय।

वित्तीय प्रबंधन –

- सभी खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जाएँगे।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा वार्षिक लेखा-परीक्षण।
- दानदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80G तथा सीएसआर लाभ प्राप्त होंगे।

व्यय सीमाएँ –

- प्रशासनिक व्यय अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
- प्रथम सात वर्षों के दौरान निधि का 70 प्रतिशत निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाएगा:
- भगवद्गीता एवं रामकथा-आधारित धरोहर ग्रंथों का निःशुल्क वितरण;
- सैद्धांतिक उपदेशकों (अध्यात्माचार्यों) और पुजारियों (पुरोहितों) का प्रशिक्षण, जिन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार परामर्शदाता के रूप में भी सक्षम बनाया जाएगा।

4. सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम क्षेत्र

- प्रत्येक हिंदू घर में निःशुल्क गीता–रामायण का एक सेट।
- पुरोहितों एवं अध्यात्माचार्यों के लिए प्रशिक्षण संस्थान।

- आवासीय एवं अनावासीय सनातन विद्यालय।
- धर्म शिक्षा हेतु डिजिटल मंच।
- मंदिरों का पुनरुद्धार तथा रोजगार परामर्श केंद्रों की स्थापना।
- सनातनियों के लिए आपदा राहत एवं पुनर्वास परियोजनाएँ।
- अंतरधार्मिक सद्भाव और मानवीय सहायता कार्यक्रम।

5. कानूनी एवं संवैधानिक सुरक्षा उपाय

- सनातन सेवा निधि में सभी योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक होंगे।
- सनातनी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 28(3) का पूर्ण पालन (अभिभावकों की पूर्व सहमति के साथ बच्चों की धर्म विषयक शिक्षा)।
- यह अधिनियम किसी अन्य धार्मिक समुदाय के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

6. शासन एवं जवाबदेही

- वार्षिक प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।
- सभी अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे।
- परिषद के सदस्य वेतनरहित सेवा देंगे; केवल मानदेय या यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।
- पूर्ण पारदर्शिता और लेखा-परीक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था।

7. सार

सनातन सेवा निधि अधिनियम, 20XX भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, भगवद्गीता और उपनिषदों पर आधारित नैतिक-आध्यात्मिक पुनर्जागरण, तथा सनातन धर्म को एक एकीकृत, जीवंत और सार्वभौमिक परंपरा के रूप में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर संगठित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। भारतीय संविधान ऐसे विधान के निर्माण में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता।